

प्रेसनोट

दिनांक 06.08.2025 थाना नवाबगंज

जनपद गोण्डा ।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 840 ग्राम गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार -

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान ग्राम खजुरिया मोड़ के पास किराने की दुकान के पीछे से अभियुक्त शनी गुप्ता पुत्र देवी प्रसाद गुप्ता निवासी कटरा भोगचन्द थाना नवाबगंज गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 840 ग्राम गांजा व बिक्री से प्राप्त रु0 300/- बरामद किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.08.2025 को थाना नवाबगंज के उ0नि0 संजीव सिंह मय हमराह क्षेत्र भ्रमण व चेकिंग में रवाना थे । कटरा तिराहा पर चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति ग्राम खजुरिया मोड़ के पास किराने की दुकान के पीछे गांजा की तस्करी कर रहा है, उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा अभियुक्त शनी गुप्ता पुत्र देवी प्रसाद गुप्ता निवासी कटरा भोगचन्द थाना नवाबगंज गोण्डा को गिरफ्तार कर तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 840 ग्राम गांजा व बिक्री से प्राप्त रु0 300/- बरामद हुआ । थाना स्थानीय पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 279/2025 धारा 8/20 NDPS Act का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शनी गुप्ता पुत्र देवी प्रसाद गुप्ता निवासी कटरा भोगचन्द थाना नवाबगंज गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 279/2025 धारा 8/20 NDPS Act थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01- 840 ग्राम गांजा

02. गांजा की बिक्री से प्राप्त रु0 300/-

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संजीव सिंह

02. हे0का0 रवीन्द्र सिंह

03. हे0का0 सुनील यादव

मीडिया सेल, गोण्डा ।

प्रेसनोट

दिनांक 06.08.2025 थाना छपिया

जनपद गोण्डा ।

थाना छपिया पुलिस द्वारा 930 ग्राम गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के कुशल नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मसकनवां रोड पर बुक्कनपुर मजार के पास से अभियुक्त इस्माइल पुत्र मो० इब्राहिम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 930 ग्राम गांजा बरामद किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.08.2025 को थाना छपिया के थानाध्यक्ष संजीव वर्मा मय हमराह शान्ति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण व चेकिंग में खाना थे । मसकनवां रोड पर बुक्कनपुर मजार के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त इस्माइल पुत्र मो० इब्राहिम उम्र 40 वर्ष नि० ग्रा० कमालपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 930 ग्राम गांजा बरामद हुआ । थाना स्थानीय पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 293/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. इस्माइल पुत्र मो० इब्राहिम उम्र 40 वर्ष नि० ग्रा० कमालपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु०अ०सं० 293/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01- 930 ग्राम गांजा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० संजीव वर्मा थानाध्यक्ष छपिया
02. उ०नि० मयंक वर्मा
03. हे०का० शैलेन्द्र यादव
04. हे०का० जितेन्द्र सिंह
05. का० रविशेख प्रजापति
06. का० अच्छेलाल गुप्ता

मीडिया सेल, गोण्डा ।